OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, YAMUNA NAGAR-JAGADHRI

Tender Notice/Community participation

SHORT TERMS TENDER NITICE INVITING ITEM RATE ONLINE

On behalf of Commissioner Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri on-line E-Tenders on http://www.etenders.hry.nic.in are hereby invited herewith from the eligible contractor/Agencies for following works:-

Sr. No	Name of Work:- Repair & Maintenance of street light points	Total No. of Street light points	Bid document cost	EMD (InLac)	Time limit One Year	Tender Document download and Bid submission		Tender opening Date
						Start	end	
1	**Sector-1 (W. No. 1 to 6) and main Road at M.C. Ynr-Jgd.**	Tube 1x40 = 3978 Sodium 150W= 923 CFL36/72W = 407 T-5-28W = 90 LED 25/45 = 40 Highmast 150/ 250/400W = 130 **Total point =5568**	Rs.1000/-	3.00	**One Year** 01.01.16 to 31.12.16	3.12.15	9.12.15	10.12.15.
2	**Sector-3 (W. No. 13 to 20) and main Road at M.C. Ynr-Jgd.**	Tube 1x40 = 3551 Sodium 150W= 966 CFL36/72W = 388 Highmast 150/ 250/400W = 50 **Total points =4955**	Rs.1000/-	3.00	**One Year** 01.01.16 to 31.12.16	3.12.15	9.12.15	10.12.15.

GENERAL INSTRUCTIONS/CONDITIONS

1. Earnest money in shape of D.D. should be in favour of Commissioner Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri The E.M. of successful Firm, will be returned after expiry of contract period which is one year without interest. .
2. Contractor/Firm should have a valid license from Chief Elec. Inspector Haryana along with minimum 2 years experience in this field.
3. Contractor/Firm will be bound to keep one team per ward for maintenance of street light point and each team will comprises with one qualified Electrician and one experienced helper. Each team should be equipped with necessary Tool Kit, and ordinary/motorized stair as per requirement.
4. Contractor/Firm is advised to quote the rate including material & labour per point per month for maintenance of street light.
5. Contractor/Firm should quote rates only for one work in the interest of corporation/public.
6. Commissioner Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri reserve the right to change/Add/remove any term and condition.
7. After receiving the tender of all sector, negotiation will be made before the Joint Commissioner for driving uniform rate jointly.
8. All requisite document, earnest money and receipt/DD should be deposit in the office of M.C. upto 9-12-15.
9. All other terms and conditions and detail of points can be seen on Website www mcy. eynr.in the office of Assistant Engineer (Electrical) on any working days.

Executive Engineer
For:Commissioner,
Municipal Corporation
Yamuna Nagar-Jagadhri.
01732 237841

न्गर निगम यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र की स्ट्रीट लाईट के ठेके के लिए मुख्य शर्ते

नगरनिगम के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नविवरण अनुसार उपलब्ध भिन्न-भिन्न प्रकार की स्ट्रीट लाईट के रख रखाव व आवश्यक मुरम्मत के कार्य का सामान व मजदूरी सहित ठेका आगामी एक वर्ष के लिए दिया जाना प्रस्तावित है । निम्न विवरण अनुसार दर्शाई गई स्ट्रीट लाईट की संख्या सरकार की नीति व जनहित के मध्यनजर कार्य अवधि के दौरान कम व अधिक भी हो सकती हैः-

Area	Tube 40 W	Sodium 150/250W	CFL 36/65/72	T5/28W	Metal Hallied 250/400W	Appr. Total
Sector-1	3918	191	360	90	24	4583
Main Road	60	732	47		106	945
Total	**3978**	**923**	**407**	**90**	**130**	**5528**
Sector-3	3551	657	388		10	4606
Main Road		309			40	349
Total	**3551**	**966**	**388**	**...**	**50**	**4955**

नियम व शर्तेः-

1. एजेंसीं/इच्छुक व्यक्ति द्वारा सभी प्रकार की स्ट्रीट लाईट के रखरखाव व मुरम्मत के कार्य हेतु (सामान व मजदूरी सहित) प्रति मास प्रति प्वाईंट की दर से देना होगा तथा अपनी निविदा के साथ 3,00,000/-रूपये की धरोहर राशि जमानत के तौर पर निगम कोष में नकद/डी0डी0 के रूप में जमा करवानी होगी जो असफल निविदादाताओं को ठेके का कार्य अलाट करने के बाद ही लौटाई जायेगी तथा सफल निविदादाता को रखरखाव का कार्य संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने उपरान्त बिना ब्याज के वापिस लौटाई जायेगी। यदि ठेकेदार/एजेंसी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल धरोहर राशि अथवा इसका भाग जब्त भी किया जा सकता है ।
2. ठेकेदार/एजेंसी के पास मुख्य बिजली निरीक्षक हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा जारी किये गये लाईसैंस के साथ-साथ नगरनिगम/नगरपरिषद में स्ट्रीट लाईट के रखरखाव के संतोषजनक कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है ।
3. ठेकेदार/एजेंसी द्वारा स्ट्रीट लाईट के रखरखाव हेतु प्रयोग में आने वाला भिन्न-2 तरह का बिजली का सामान जैसे बल्ब, सोडियम लैम्प, टयूब रोड, चोक, ईगनेटर इत्यादि उच्च श्रेणी जैसे फिलिप्स, बजाज, क्रम्पटन कम्पनी को ही प्रयोग में लाया जायेगा तथा केबल/कन्डक्टर व पी0वी0सी0 वायर आई0 एस0 अप्रूवर्ड मार्का ही प्रयोग में लाई जायेगी व प्रयोग किये जाने वाले हर सामान की किसी भी समय जांच निगम के उच्च अधिकारियों/तकनीकी स्टाफ (पालिका अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता) द्वारा की जा सकती है। बिजली का यह सामान

उच्च श्रेणी अथवा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप न पाये जाने की सूरत में वह सामान जब्त करते हुए निगम के सक्षम अधिकारी को यथा योग्य जुर्माना लगाने का अधिकार होगा ।

4. स्ट्रीट लाईट के रखरखाब का कार्य करने हेतु आवश्यकतानुसार अनुभवी व कुशल कारीगर तथा कार्य करने के लिए प्रयोग में आने वाले उपकरण व सामान जैसे छोटी व बड़ी सीढ़ी, हर प्रकार के टूल किट्स, सुरक्षा से जुड़ा सामान बैल्ट इत्यादि का प्रबन्ध ठेकेदार अपने स्तर पर करेगा और रखरखाव का कार्य करने वाले हर स्टाफ सदस्य की पूर्ण पते व टैलीफोन नम्बरों सहित सूचि नगरनिगम को उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त निगम की उपलब्ध दो एल्मुनियम सीढ़ियां ठेकेदार पूर्व की भांति इस्तेमाल करेगा तथा इस दौरान होने वाली खराबी दूर करने व रख-रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । इसके अतिरिक्त Motorized सीढ़ी (आवश्ययकतानुसार उंचाई वाली) भी ठेकेदार/एजैंसी द्वारा अपने खर्चे पर रखेगा ताकि मेन रोड़ की उंचे पोल वाली स्ट्रीट लाईटें भी निधारित समय अवधि में मुरम्मत की जा सके।

5. ठेकेदार/एजैंसी द्वारा स्ट्रीट लाईट के रखरखाव में प्रयुक्त होने वाला सामान कन्डक्टर को छोड़कर अन्य आवश्यक सामग्री जैसे टयूब रोड़, सोडियम बल्ब, चौक, स्टारटर, सर्विस केबल, भूमिगत केबल, पी0वी0सी0केबल, तारें होल्डर, सी0एफ0एल0, अपने स्तर पर बिजली का सामन फिलिप्स/बजाज/क्रम्पटन कम्पनी का अथवा किसी अन्य आई0एस0आई0 मार्क कम्पनी का ही इस्तेमाल करने का पाबन्द होगा ।

6. हर प्रकार के बन्द पड़े स्ट्रीट लाईट प्वाईटस को द्वितीय पक्ष द्वारा 48 घन्टे की समय अवधि में चालू करना होगा । इस अवधि के दौरान प्वाईट ठीक न करने पर पांच दिनों तक भी ठीक नहीं किया जाता तो पहले 5 दिन का 50/-रूपये प्रति प्वाईट के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जायेगा, (यानि कि शिकायत की तिथि से) पांच दिनों के बाद अगर प्वाईंट ठीक न होने पर पहले पांच दिन का 50/- के हिसाब से और फिर छठे दिन से आगे तक 100 रूप्ये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जायेगा ।

7. स्ट्रीट लाईट को जगाने व बन्द करने के लिए सम्बन्धित लाईनों पर लगे स्विच को निगम द्वारा मौसमवार निर्धारित समय पर आन-आफ करने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी । निर्धारित समय के अतिरिक्त यदि स्ट्रीट लाईट के चालू रहने पर बिजली के खर्च की नाजायज बढ़ौतरी/अनावश्यक खर्च की राशि की कटौती लिखित सूचना अनुसार ठेकेदार/एजैंसी को किये जाने वाले मासिक भुगतान में से की जायेगी ।

8. निगम के अधिकारियों/अधिकृत स्टाफ की अनुमति/देखरेख के बिना किसी भी स्ट्रीट लाईट प्वाईट के साथ अनावश्यक छेड़छाड/स्थान परिवर्तन आदि अपने स्तर पर करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा । यदि किसी समय ऐसा पाया जाता है तो नगरनिगम के सक्षम अधिकारी द्वारा ठेकेदार के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा । ऐसी सूरत में किसी भी समय ठेका रद्व भी किया जा सकता है ।

9. स्ट्रीट लाईट की फिटिंग इत्यादि की देखरेख जैसे कि कलम्प व बरैकट इत्यादि का ठीक तरह से रखने का कार्य भी इसी स्ट्रीट लाईट के रखरखाव में शामिल है । इसके अलावा ठेकेदार हर प्रकार के स्ट्रीट लाईट के प्लास्टिक व कांच के शीशे इत्यादि ठीक प्रकार की स्थिति में रखने का पाबन्द होगा । किसी प्राकृतिक आपदा के समय व दुर्घटना के कारण हुए नुकसान की सूचना तुरन्त निगम कार्यालय में ठेकेदार द्वारा दी जानी आवश्यक है । यदि समय पर सूचना नहीं दी जाती तो उस नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी ।

10. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से कर्मचारी को होने वाले नुकसान/कलेम इत्यादि के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा उनके बीमे इत्यादि के लिए भी ठेकेदार जिम्मेवार होगा तथा हर प्रकार से लेबर नियमों की पालना करते हुए लेबर-ला के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा ।

11. ठेकेदार/एजैंसी विद्युत विभाग की लाईनों पर कार्य करने की स्वीकृति सम्बन्धित विभाग से स्वयं प्राप्त करेगा ।

12. ठेकेदार द्वारा निगम के दोनो यमुनानगर व जगाधरी क्षेत्रों में अलग-अलग दो शिकायत केन्द्र/कार्यालय भवन अपने खर्च पर स्थापित किये जाने अनिवार्य है । इन दोनों शिकायत केन्द्र/भवनों में अनुभवी स्टाफ के साथ-साथ कम्पयूटर, टैलीफोन व स्ट्रीट लाईट के रखरखाव के लिए शिकायत पुस्तिका रखनी होंगी । स्ट्रीट लाईट की शिकायतें दर्ज कराने हेतु इन दोनों शिकायत केन्द्रों के पते व उनमें उपलब्ध टैलीफोन नम्बरों की सूचना शहर के सभी चौराहों पर बोर्ड लगाकर तथा केबल टी0वी0 के माध्यम से आम नागरिकों के लिए विज्ञापित करना अनिवार्य होगा और नगर निगम में खोली गई हैल्प लाईन पर प्राप्त शिकायतों का निपटान निर्धारित अवधि में करना होगा व उनके निपटान का कम्पयूटराईज्ड विवरण निगम के मुख्य कार्यालय (यमुनानगर) की लाईट शाखा को प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाना होगा । जिसके अभाव में रखरखाव के लिए की जाने वाली मासिक अदायगी में किसी प्रकार की कटौती की जिम्मेवारी निगम की नहीं होगी ।

13. ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि नगर निगम कार्यालय की हैल्प लाईन से प्रतिदिन प्राप्त स्ट्रीट लाईट की शिकायतें नोट करेगा तथा अगले दिन निपटान करने उपरान्त कार्यालय में रिर्पोट करेगा ।

14. ठेके की अवधि समाप्त होने पर आखरी एक माह की अदायगी तब तक नहीं की जायेगी जब तक ठेकेदार स्ट्रीट लाईट के सभी प्वाईटस चालू हालत में नगरनिगम को नहीं सौंप देगा । ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर नगरनिगम 15 दिन का नोटिस देकर ठेका समाप्त करके ठेकेदार की जमानत की राशि जब्त कर सकती है ।

15. स्ट्रीट लाईट के रखरखाव के दौरान विभाग व ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग चण्डीगढ़ का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

16. ठेकेदार/एजैंसी द्वारा स्ट्रीट लाईट के रखरखाव के लिए इस ठेके की अवधि के दौरान पड़ने वाले राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त व 26 जनवरी को स्टेडियम स्थल पर होने वाले आयोजन के लिए नगरनिगम की मांग अनुसार अस्थाई लाईट का प्रबन्ध करेगा । अथवा उस पर होने वाले खर्च की भरपाई करनी होगी ।

17. किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी व विद्युत विभाग की लाईन की खराबी से होने वाले नुकसान का ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा ।

18. ठेके की अवधि में नगरनिगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगवाये जाने वाले नये स्ट्रीट लाईट प्वाईटस को चालू व बन्द करने की जिम्मेवारी भी ठेकेदार की होगी तथा नये लगे प्वाईट की तीन माह की अवधि के पश्चात् ठेके में अनुबन्धित दरों पर इन प्वाईटस की रिपेयर व रख रखाव का कार्य करना होगा ।

19. सरकार की प्रस्तावित योजना अनुसार पुरानी लगी हुई लाईटों को एनर्जी सेवर/एल0ई0डी0 लाईटों द्वारा बदले जाने पर रखरखाव का कार्य भी ठेकेदार/एजैंसी द्वारा शीघ्रतिशीघ्र किया जायेगा परन्तु गारन्टी अवधि तक इसकी कोई अदायगी नहीं की जायेगी ।

20. ठेकेदार/एजैंसी द्वारा प्रतिमास स्ट्रीट लाईट के रखरखाव के कार्य का बिल अगामी मास के पहले सप्ताह के अन्दर प्रथम पक्ष द्वारा बिल चैक करके रिकार्ड अनुसार 20 दिन के अन्दर अदायगी की जायेगी ।

21. ठेकेदार/एजैंसी द्वारा प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाईट की रिपेयर के लिए कर्मचारियों की अलग-2 टीम बनाई जायेगी तथा प्रत्येक वार्ड में किसी एक निश्चित स्थान पर शिकयत पुस्तिका रखेगा ताकि सम्बन्धित वार्ड के लोगों द्वारा अपने-2 क्षेत्र की स्ट्रीट लाईट से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करवा सके ।

22. ठेकेदार/एजैंसी प्रति दिन एक टीम प्रत्येक वार्ड में भेजकर वार्ड में रखी गई शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकातयें एवं सम्बन्धित पार्षद से सम्पर्क करके शिकायतों का निपटान करेगी ।

आयुक्त नगरनिगम को जनहित के मध्यनजर उपरोक्त किसी भी शर्त में संशोधन अथवा शर्त को खत्म करने व किसी अन्य शर्त को लागू करने का अधिकार होगा ।